राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांक प.2(1)(7)/का/क–3/शि./19पार्ट जयपुर, दिनांक 2/3/2020

समस्त अति. मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त एवं
समस्त विभागाध्यक्ष(जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः– युद्ध में हताहत हुए भारतीय सेना के जवानों व उनके परिजनों से सद्व्यवहार किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि युद्ध में हताहत हुए भारतीय रक्षा सेवाओं के अधिकारियों/जवानों व उनके परिजनों द्वारा किसी कार्यवश राजकीय कार्यालयों में संपर्क किये जाने पर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाकर उनके कार्य को त्वरित गति से नहीं निपटाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप युद्ध में हताहत हुए भारतीय रक्षा सेवाओं के अधिकारियों/जवानों व उनके परिजनों में परेशानी, दुःख एवं असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है जो राज्य सरकार की मंशा के विपरीत है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश प्रदान करें कि युद्ध में हताहत हुए भारतीय रक्षा सेवाओं के अधिकारियों/जवानों व उनके परिजनों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके कार्य को त्वरित गति से निपटाया जावे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की तथ्यपरक शिकायत प्राप्त होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमान्तर्गत समुचित कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव